

कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी चन्दौली।

पत्रांक : UPFS/2026/79543/CHN/CHANDAULI /054/CFO

दिनांक: 07/04/2026

सेवा में,


प्रबंधक / प्रधानाचार्य,  
मानस कॉन्वेंट स्कूल  
मानस नगर, मुगलसराय  
जनपद-चन्दौली।

विषय: अग्निसुरक्षा संबंधी प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किये जाने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक: MCS/MGS/871/2026 दिनांक: 15/03/2026 एवं संलग्न अग्निसुरक्षा प्रमाण-पत्र दिनांकित: 06/05/2021 उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के संबंध में आपके विद्यालय का अग्निसुरक्षा की दृष्टि से निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:-

- 1- विद्यालय भवन भूतल, प्रथमतल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल तक निर्मित है जहाँ तक अग्निशमन के वाहन सुगमतापूर्वक आवागमन कर सकते हैं।
- 2- विद्यालय भवन का कुल प्लॉट एरिया 9146.00 वर्गमीटर है।
- 3- विद्यालय भवन का कुल कवर्ड एरिया 2415.00 वर्गमीटर है।
- 4- विद्यालय भवन की ऊंचाई 13.500 मीटर है।
- 5- भवन में प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों की व्यवस्था निरीक्षण के समय कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पाये गये।
- 6- विद्यालय परिसर में ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण नहीं किया जायेगा।
- 7- विद्यालय भवन की विद्युत सुरक्षा संबंधी प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।
- 8- निरीक्षण के दौरान विद्यालय भवन में होजरिल सिस्टम की व्यवस्था कराया जाना पाया गया।

अतः इस शर्त के साथ अनापत्ति प्रमाण-पत्र नवीनीकरण किया जाता है कि प्रत्येक वर्ष विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराने के उपरान्त प्राथमिक अग्निशमन उपकरण / सिस्टम को अग्निशमन विभाग से निरीक्षण / परीक्षण कराने के पश्चात् प्रमाण-पत्र का नवीनीकरण कराना होगा। अन्यथा अग्निशमन उपकरणों के अकार्यशील व अनुपलब्धता की दशा में प्रमाण-पत्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। निरीक्षण/परीक्षण कराने की पूर्ण जिम्मेदारी प्रबंधक / प्रधानाचार्य की होगी तथा यह प्रमाण-पत्र एक वर्ष के लिये मान्य होगा।

  
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी  
मुख्य अग्निशमन अधिकारी  
चन्दौली।